खंड 1 संख्या 130

राष्ट्र महिला

मई 2010

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

यद्यपि भारत के अनेक क्षेत्रों ने तेज़ी से प्रगति की है, तथापि जहाँ तक महिला-पुरुष समानता का प्रश्न है, मन्द प्रगति स्पष्ट झलकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गये हाल ही में प्रकाशित दो अध्ययन दर्शाते हैं कि महिला-पुरुष समानता प्राप्त करने में भारत बहुत पीछे है।

विश्व आर्थिक मंच ने 'संगठित क्षेत्र में महिला-पुरुष अंतरात 2010' विषय पर अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जिन 20 देशों का सर्वेक्षण किया गया उनमें कार्यरत महिलाओं का प्रतिशत भारत में सबसे कम है।

पाया गया कि अमेरिका में यह प्रतिशत 52 है, स्पेन में 48, कनाडा में 46 और फिनलैंड में 44 है। टर्की और आस्ट्रिया में यह क्रमशः 26 और 29 प्रतिशत है जबकि भारत का स्थान (23 प्रतिशत) जापान (24 प्रतिशत) से ठीक नीचे है।

विश्व आर्थिक मंच के अनुसार, विश्व के सबसे बड़े 20 नियोजक देशों के बारे में किया गया यह पहला अध्ययन है जिसमें पुरुष-महिला नियोजन के तुलनात्मक आंकड़े कम्पनियों की लिंग समानता नीतियों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किए गये हैं जिनसे पता चलता है कि कितनी बड़ी सीमा तक अपेक्षित नीतियों का परिपालन नहीं किया गया है।

उद्योग के स्तर पर, यह सर्वेक्षण दर्शाता है कि महिलाओं की सर्वाधिक नियुक्ति सेवाओं के क्षेत्र में है। इस क्षेत्र में, वित्तीय सेवाओं एवं बीमा में 60 प्रतिशत महिलाएँ, पेशेवर सेवाओं में 50 प्रतिशत महिलाएं और मीडिया एवं मनोरंजन क्षेत्र में 42 प्रतिशत महिलाएँ नियुक्त हैं।

इन बीस अर्थव्यवस्थाओं में जिन क्षेत्रों में महिलाओं का अनुपात सबसे कम है वे हैं मोटर-चालित क्षेत्र (18 प्रतिशत) और कृषि (21 प्रतिशत)।

रिपोर्ट में कहा गया है कि अग्रणी कम्पनियां कार्यक्षेत्र में महिलाओं की प्रतिभा का उपयोग करने में असफल रही हैं।

चर्चा में

महिला-पुरुष समानता में भारत पीछे

रिपोर्ट यह भी बताती है कि अधिकतर देशों तथा उद्योगों में महिला कर्मचारी प्रविष्ट के स्तर अथवा मध्य स्तर के स्थानों पर केन्द्रित हैं और वरिष्ठ प्रबंधक अथवा बोर्ड के स्तर पर उनकी संख्या अत्यंत न्यून है।

इसमें एक बड़ा अपवाद नार्वे है जहाँ निदेशक बोर्डों में 40 प्रतिशत से अधिक महिलाएँ हैं। इसका कारण एक सरकारी आदेश है जिसमें कहा गया है कि सार्वजनिक कम्पनियों के बोर्डों में न्यूनतम 40 प्रतिशत पुरुष तथा 40 प्रतिशत महिलाएँ होंगी।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रायोजित '2010 एशिया-पेसिफिक मानव विकास रिपोर्ट' में अनुमान लगाया गया है कि कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी की कमी के परिणामस्वरूप एशिया-पेसिफिक क्षेत्र को प्रति वर्ष अरबों डालर की हानि उठानी पड़ती है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत, इंडोनेशिया तथा मलेशिया जैसे देशों में यदि महिला रोज़गार की दर बढ़ा कर 70 प्रतिशत कर दी जाये तो वहाँ का सकल घरेलू उत्पाद 2 से 4 प्रतिशत बढ़ जायेगा जो कई विकसित देशों के बराबर होगा।

भारत जैसे दक्षिण एशियाई देशों में 35 प्रतिशत से भी कम महिलाएँ वैतनिक कार्य करती हैं। भेदभाव और उपेक्षा के कारण इस क्षेत्र की महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, रोज़गार और सम्पत्ति स्वामित्व विश्व की कुछ सबसे कम दरों में है।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में यह भी कहा गया है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने का एक सरल उपाय उनके लिए स्थान आरक्षित करना है, परन्तु यह उनके सशक्तिकरण की एकमात्र युक्ति नहीं हो सकती।

महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ जाने पर यह आशा की जा सकती है कि 50 प्रतिशत नियंत्रण रखने के अतिरिक्त, वे अपनी नियति भी नियंत्रित कर सकती है।

महिलाओं के अधिकारों पर क्षेत्रीय सम्मेलन

राष्ट्रीय महिला आयोग ने मेघालय के समाज कल्याण विभाग के सहयोग में 'महिलाओं के अधिकार' विषय पर शिलाँग में एक क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया।

अपने उद्घाटन भाषण में, राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. डी.डी. लपांग ने राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि महिलाओं से संबंधित विद्यमान कानूनों की समीक्षा करके और महिला संरक्षा के नये कानूनों का सुझाव देकर आयोग उनके अधिकारों की रक्षा और संवर्धन आश्वस्त करता है।

महिलाओं के साथ होने वाले दुराचार, छेड़खानी, यौन कृत्य के लिए उनके अनैतिक व्यापार आदि में वृद्धि पर उन्होंने चिंता व्यक्त की।

उप मुख्यमंत्री श्री बी.एम. लानोंग ने अपने भाषण में स्वीकार किया कि महिलाओं के अधिकारों के बारे में अनेक सामाजिक समस्याएं विद्यमान हैं जैसे निरक्षरता, विवाह-विच्छेद, घरेलू हिंसा, महिलाओं तथा बच्चों का अनैतिक व्यापार इत्यादि।

इससे पूर्व, राष्ट्रीय महिला आयोग के तत्कालीन सदस्य-सचिव श्री एस. चटर्जी ने कहा कि आयोग के तीन मूल कृत्य हैं महिलाओं पर होने वाले अपराधों की शिकायतें दर्ज करना, महिलाओं के मुद्दों से संबंधित विद्यमान कानूनों की समीक्षा करना और शोध कार्य हाथ में लेना होगा।

राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या वानसुक सयीम ने कहा कि यद्यपि गत दस वर्षों में महिलाओं को समान अधिकार दिलाने की दिशा में गैर-सरकारी संगठनों तथा सिविल समाज द्वारा लगातार प्रयत्न किए जाते रहे हैं, फिर भी कुल मिलाकर महिलाओं का औहदा और उनके

सम्मेलन में (बायें से) अतिरिक्त पुलिस महानिदेश श्री ए.के. माथुर, सुश्री वानसुक सयीम, मुख्यमंत्री श्री डी.डी. लपांग, उप मुख्यमंत्री श्री बी.एम. लानोंग और आयोग के पूर्व सदस्य सचिव श्री एस. चटर्जी

कानूनी हक अत्यंत निराशाजनक हैं। यह स्थिति उनके विभिन्न मानवाधिकारों के गंभीर हनन, जैसे कि घरेलू एवं यौन हिंसा, कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न, लिंग-भेद और नारी भ्रूण हत्या इत्यादि में दृष्टिगोचर है।

अतः इस सम्मेलन में किए जा रहे परामर्श का ध्येय महिलाओं में कानूनी जागरुकता पैदा करके उन्हें अपने कानूनी अधिकारों से अवगत कराना और पूर्वोत्तर राज्यों के विभिन्न भागों में त्वरित न्यायालयों तथा पारिवारिक महिला लोक अदालतों के जरिये इन अधिकारों को प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करना है।

निरुपमा पाठक का मामला

कोडरमा से आकर दिल्ली में कार्यरत पत्रकार निरुपमा पाठक की हत्या के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास ने आयोग के सम्मेलन कक्ष में एक प्रेस सम्मेलन आयोजित किया। भारतीय जनसंचार संस्थान के फैकल्टी मेम्बर श्री आनन्द प्रधान तथा कुछ विद्यार्थियों ने आयोग की अध्यक्षा को एक आवेदन दिया। अध्यक्षा डॉ. व्यास ने कहा कि इस घटना को सुन कर उन्हें बड़ा आघात पहुँचा है और वह झारखण्ड सरकार से इस बारे में 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगेंगी और गृह मंत्री को भी पत्र लिखेंगी।

संस्थान के विद्यार्थियों ने अध्यक्षा से इस मामले की जाँच करने के लिए एक-सदस्यीय समिति बनाने का निवेदन किया। अध्यक्षा ने विश्वास दिलाया कि वह पीड़िता को न्याय दिलायेंगी और यह मामला एक त्वरित न्यायालय में चलेगा।

अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास प्रेस सम्मेलन को सम्बोधित करती हुई

जन्म-पूर्व गर्भ निर्धारण विरोधी अधिनियम, 1994 के अमल पर आयोग की सिफारिशें

उदयपुर में 10 अप्रैल 2010 को जन्म-पूर्व गर्भ निर्धारण निषेध अधिनियम, 1994 के अमल पर एक राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया गया जिसका सभापतित्व राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास ने किया।

परामर्श में उदयपुर के छः जिलों के सरकारी अधिकारियों, स्वास्थ्य सेवाओं के प्रतिनिधियों, पुलिस अधिकारियों, बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, गैर-सरकारी संगठनों और मीडिया के लोगों ने भाग लिया। अपने स्वागत भाषण में अध्यक्षा ने घटते हुए पुरुष महिला अनुपात पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी उपस्थित जनों से आग्रह किया कि वे नारी भ्रूणहत्या एवं बालिका-हत्या को रोकने की शपथ लें। उद्घाटन सत्र के दौरान, वक्ताओं ने घटते हुए लिंग अनुपात पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए जन्म-पूर्व गर्भ निर्धारण निषेध अधिनियम के गैर क्रियान्वयन पर कुछ मूल्यवान सुझाव दिए ताकि इसे प्रभावी बनाया जा सके।

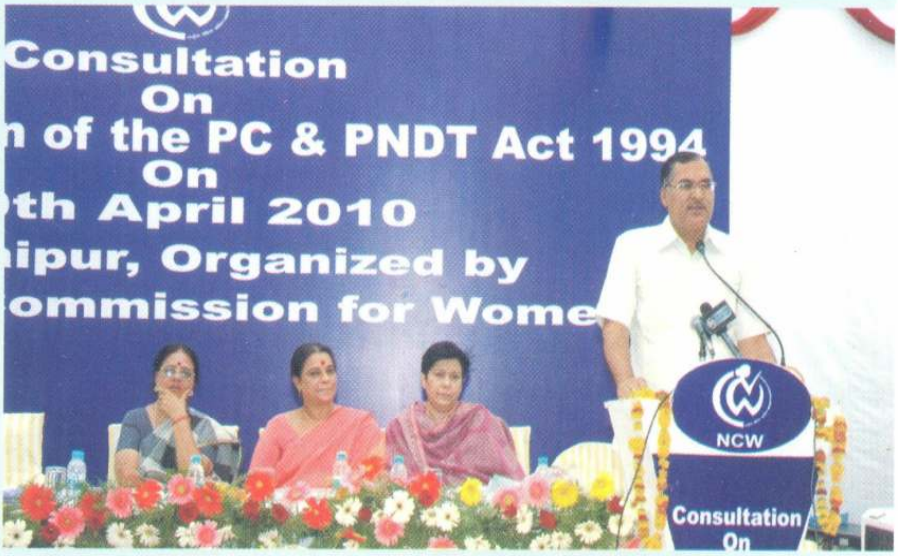

परामर्श में डॉ. गिरिजा व्यास, सुश्री रंजना कुमारी, सुश्री यास्मीन अब्रार

परामर्श में श्रोतागणों का एक दृश्य

चर्चा से निकली कुछ मुख्य सिफारिशें ये हैं :-

(1) राष्ट्रीय महिला आयोग अपने विद्यमान संगठन में एक जन्म-पूर्व गर्भ निर्धारण निषेध कक्ष स्थापित करे। (2) अल्ट्रा-साउंड मशीनों की बे-रोकटोक सप्लाई और बिक्री के विनियमन की आवश्यकता। (3) अधिनियम के अंतर्गत निर्मित प्राधिकार को सक्रिय किया जाये। (4) एमनीओसेंटेसिस तथा क्रॉनिक विल्ली बायोप्सी जैसी सोनोग्राफी/प्रतिबिम्बी तकनीकों का पृथक पंजीकरण किए जाने का प्रावधान करना क्योंकि इनके काम बिल्कुल अलग-अलग हैं। (5) इन अपराधों के दंड को अधिक कठोर बनाया जाना चाहिए क्योंकि यह मामला 'गर्भ में हत्या' किए जाने का है। (6) जन्म और मरण का पंजीकरण अनिवार्य किया जाये।

हिन्दी सीरियल में महिलाओं के अशोभनीय चित्रण पर स्पष्टीकरण की माँग

राष्ट्रीय महिला आयोग ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को एक पत्र लिख कर मांग की है कि एक प्राइवेट हिन्दी टीवी चैनल द्वारा प्रसारित सीरियल *'ना आना इस देश में लाढो'* में महिलाओं का तुच्छ चित्रण करने पर उससे स्पष्टीकरण मांगा जाये।

आयोग ने कहा कि सीरियल में महिलाओं को घटिया ढंग से चित्रित किया गया है और उनकी शालीनता को चोट पहुंचाई गई है जिससे जनता की नैतिकता पर कुप्रभाव पड़ता है और यह सीरियल 'महिलाओं का अशोभनीय प्रदर्शन (निषेध) अधिनियम, 1986' तथा 'केबल टीवी नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995' का उल्लंघन है।

आयोग ने सीरियल में हाल ही में दिखाए गए उन प्रसंगों की कड़ी भर्त्सना की जिनमें कि एक महिला को विवाहेतर यौन कृत्य करने के लिए यातना दी गई है।

आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास ने कहा : 'इससे समाज के नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों को ठेस पहुंचती है और इसलिए ऐसे प्रसंग प्रसारित नहीं किए जाने चाहिए।'

महत्वपूर्ण निर्णय

● पंजाब ने पुत्रियों को समान काश्तकारी अधिकार देने का निर्णय लिया

पंजाब मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि पंजाब भूमि काश्तकारी सुरक्षा अधिनियम, 1955 में संशोधन करके बालिग लड़कियों को बराबरी के काश्तकारी अधिकार प्रदान किए जायेंगे।

मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान किए जाने के बाद अब बालिग लड़कियां भी भूमि के मालिक के बालिग लड़कों की तरह पंजाब भूमि सुधार अधिनियम, 1972 के अंतर्गत अनुज्ञेय क्षेत्र की हकदार होंगी। अब तक, काश्तकार की मृत्यु के बाद काश्तकारी अधिकार केवल पुरुष वारिसों, माता अथवा विधवा को जाते थे।

● बलात्कार पीड़िता यदि अनपढ़ हो तो सम्पुष्टीकरण आवश्यक नहीं

उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि किसी बलात्कार के मामले में, विशेषकर यदि पीड़िता अनपढ़ हो तो, आरोपी को सज़ा देने के लिए पीड़िता का कथन पूर्णरूप से - बिना और संपुष्टीकरण के - स्वीकार कर लिया जाना चाहिए।

खंडपीठ ने कहा कि किसी भी महिला के लिए बलात्कार का कथन अत्यंत अपमानजनक अनुभव है और जब तक कि वह यौन अपराध की शिकार न हो, वह वास्तविक अपराधी के अलावा किसी अन्य का नाम नहीं लेगी।

"पीड़िता का साक्ष्य मानते हुए, न्यायालयों को सदा यह बात मस्तिष्क में रखनी चाहिए कि कोई भी आत्म-सम्मान वाली महिला बलात्कार जैसी बात के बारे में गलतबयानी करके अपना सम्मान दांव पर नहीं लगाएगी और इसलिए, आमतौर पर, उसके साक्ष्य का सम्पुष्टीकरण मांगने की आवश्यकता नहीं है।"

● उच्च न्यायालय ने दूसरी पत्नी के लिए निर्वाह-व्यय का द्वार खोला

बम्बई उच्च न्यायालय ने कहा है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत, दूसरी पत्नियां न्यायालयों का द्वार खटखटा सकती हैं। न्यायाधीश ने नागपुर कीएक 45-वर्षीय गृहिणी से कहा कि निर्वाह-व्यय प्राप्त करने के लिए वह 2005 के उपरोक्त कानून के अंतर्गत न्यायालय जाकर 27 वर्ष पूर्व दूसरा विवाह कर लेने वाले व्यक्ति से निर्वाह-व्यय, आवास तथा अन्य सुविधाएं मांग सकती है।

न्यायालय ने पति को आदेश दिया कि कानूनी खर्च के लिए वह पत्नी को 15000 रुपए की राशि दे ताकि वह उसके विरुद्ध घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही कर सके।

अग्रेतर सूचना के लिए देखिए हमारा वेबसाइट :
www.ncw.nic.in

शिकायत कक्ष से

● आयोग को एक महिला से शिकायत प्राप्त हुई कि कार्यस्थल पर उसे एक वरिष्ठ अधिकारी तंग करता है। जब महिला ने मानव संसाधन विकास के प्रमुख से उसकी शिकायत की तो अधिकारियों ने महिला के साथ भेदभाव करना प्रारम्भ कर दिया जिसके परिणामस्वरूप वह काम छोड़ने की बात सोचने लगी। परन्तु कम्पनी ने उसे मूल दस्तावेज लौटाने से इंकार कर दिया और यह तक कहा कि कम्पनी के पास उसके कोई मूल दस्तावेज नहीं हैं।

आयोग ने कम्पनी के मानव संसाधन मैनेजर को नोटिस भेज कर व्यक्तिगत सुनवाई के लिए आयोग के सम्मुख उपस्थित होने को कहा।

मैनेजर ने आयोग के सम्मुख अपना बयान दिया और तत्पश्चात् मूल दस्तावेज शिकायतकर्ता को लौटा दिए। अब आयोग यौन उत्पीड़न की शिकायत की जाँच कर रहा है और मानव संसाधन विभाग को यौन उत्पीड़न की शिकायत पर की गई कार्यवाही रिपोर्ट आयोग को भेजने का आदेश दिया है।

कोई पीछा कर रहा है? पुलिस हेल्पलाइन को फोन करो

यदि कोई बुरी नीयत से आपका पीछा कर रहा है, तो इस संबंध में स्थापित नई पुलिस हेल्पलाइन को फोन कीजिए। पुलिस पीछा करने वाले की खबर लेगी और आपको शिकायत दर्ज कराने की भी आवश्यकता नहीं है।

हेल्पलाइन - 1096 और 27894455 - मुख्यतः महिलाओं का पीछा करने वालों के लिए है।

अधिकतर मामलों में महिलाएं शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाने से कतराती हैं। इस हेल्पलाइन से, उन्हें पुलिस को फोन भर करना है और शेष पुलिस सम्भाल लेगी।

इस समय यह काम दिल्ली पुलिस की अपराधा शाखा को सौंपा गया है, किन्तु बाद में प्रत्येक पुलिस स्टेशन पर ऐसे एकक स्थापित किए जायेंगे।

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। सम्पादक : गौरी सेन। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-5 द्वारा मुद्रित।